

506-

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 19-36/2011/1/4

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2011

::आदेश::

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाले प्रोजेक्ट्स से संबंधित आर्थिक व्यवहार्यता, नगदी प्रवाह के विवरण व प्रक्षेपित जानकारी के विश्लेषण एवं डीएमआईसी परियोजना के लिए मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) द्वारा हुडको से प्राप्त किए जाने वाले ऋण की व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव, | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग और रोजगार | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी | सदस्य |
| 5. प्रबन्ध संचालक, ट्रायफेक | सदस्य सचिव |

2/ उक्त समिति द्वारा परियोजना से संबंधित वित्तीय जानकारियों के विश्लेषण हेतु आवश्यकता होने पर, कन्सल्टेंट की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(राजेश कौल)
उप सचिव

म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

11-4-2011

cl

पृ0 क्रमांक एफ 19-36/2011/1/4
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2011

1. समिति का अध्यक्ष / सदस्य सचिव / सदस्यगण।
2. वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
3. सचिव समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक जनसंपर्क मंत्रालय प्रकोष्ठ भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

11-4-2011